FORM NO III

APP-A
Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अपील श्रवण योग्य नही होने से खारिज 26/10/18

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम अजमेर

माली पुत्र स्व. ... जातिरावत व अन्य बनाम शंकर पुत्र ... जाति रावत व अन्य

किस्म मुकदमा 225 राज. काश्तकारी अधि. नम्बर 320 सन् 2018 (अजमेर)

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2018/00320 श्री महेन्द्र सिंह चौहान श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
26.10.18	यह अपील श्री महेन्द्र सिंह चौहान एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 09.10.2018, प्रकरण संख्या 29/2018 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। जिस पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दिनांक 28.09.2018 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण की तलबी हेतु पेशी दिनांक 09.10.2018 नियत क़ी गई तथा दिनांक 09.10. 2018 को अप्रार्थी संख्या 01, 02 ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 03 की तलबी नहीं होने के कारण अभिभाषक प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 03 की तलबी हेतु पुनः नोटिस तलबाना पेश किये जाने के आदेश दिये हैं। अभिभाषक अपीलांट ने उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.10. 2018 को अप्रार्थी संख्या 01, 02 के जवाब प्राप्त होने के बावजूद भी प्रार्थना पत्र पर बहस नहीं सुनी है जिससे विवादित आराजी का बेचान होने की संभावना हैं इसलिए विवादित आराजी की राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश प्रदान करावें। चुँकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्राथमिक स्तर पर विचाराधीन हैं और प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 की तलबी होनी शेष हैं। अभिभाषक अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायायालय के आदेश के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील श्रवणायोग्य नहीं हैं। मान्नीय राजस्व मण्डल राज.की लार्जर बेंच द्वारा पारित आदेश 12.03.2014 में कथन किया कि "Revenue Appellate Authority has jurisdiction under Section 225 of the Act to entertain an appeal against an ex-parte or ad-iterim	लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

3.20/18/225 मावी बनाम शंकर वगै०

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2018/00320 श्री महेन्द्र सिंह चौहान श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
लगातार	ex-parte order passed by a Trial Court under Section 212 of the Act, but the Revenue Appellate Authority has no jurisidiction to entertain appeals against such ad-interim ex-parte order which are effective only till next date of hearing."। मान्नीय मण्डल की उक्त नजीर द्वारा अपील चलने योग्य नही पायी जाती हैं। अतः अपील अपीलांट श्रवण योग्य नहीं होने से खारिज की जाती हैं। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	